# <u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 अशोकनगर,जिला अशोकनगर(म0प्र0)</u> {पीठासीन अधिकारी—एस.एस. सिसौदिया}

#### व्यवहारवार कमांक—24ए/2016 संस्थित दिनांक—31.08.2016

- 1. प्रेमनारायण पुत्र काशीराम जाति काछी, उम्र 55 वर्ष।
- 2. शोभाराम पुत्र काशीराम जाति काछी, उम्र 70 वर्ष।
- 3. बल्लू पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, उम्र 45 वर्ष।
- 4. कल्लू पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, उम्र 44 वर्ष, व्यवसायगण—खेती।
- 5. अन्नू पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, आयु 37 वर्ष।
- 6. कल्याण पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, आयु 35 वर्ष।
- 7. महेन्द्र पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, आयु 31 वर्ष।
- लाखन पुत्र दौलत सिंह जाति काछी, आयु 23 वर्ष, सभी का धंधा खेती निवासीजन ईसागढ़ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.
- 9. कुसुमबाई पुत्री दौलतसिंह पत्नी हरीसिंह जाति काछी उम्र 34 वर्ष, निवासी कृषि उपज मंडी के पास ए.बी. रोड गुना म.प्र.
- 10. स्वरूपीबाई पुत्री दौलतिसंह पत्नी जीतू जाति काछी, उम्र 40 वर्ष, निवासी पठार मोहल्ला अशोकनगर म.प्र.
- 11. सीताबाई पुत्री दौलत सिह पत्नी हरपाल सिंह जाति काछी, आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

#### -----आवेदकगण/वादीगण

#### बनाम

- शिवचरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राम्हण आयु 65 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.
- 2. विनोद पुत्र रामेश्वरदयाल जाति अग्रवाल आयु 50 वर्ष।
- 3. सुशील कुमार रामेश्वरदयाल जाति अग्रवाल आयु 45 वर्ष
- हितेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल जाति अग्रवाल आयु 42 वर्ष, क्रमांक 2 लगायत 4 निवासीजन वार्ड नंबर 6 अग्रवाल मोहल्ला ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.
- 5. दीपेश पुत्र राजेश जाति राठौर आयु 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 ईसागढ़ तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.
- 6. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर मप्र.

——अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

#### ----:// <u>आदेश</u> //::----

### { आदेश आज दिनांक 28.04.2018 को पारित किया}

- 1. इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. (आई.ए. नं.—1) का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदन इस प्रकार है कि, ईसागढ़ जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे कं. 2. 856 / 2 रकबा 0.052 हेक्टेयर वादी प्रेमनारायण के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा सर्वे कं. 856 / 1 रकबा 0.052 हेक्टेयर वादी कं. 2 शोभाराम के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा भूमि सर्वे कं. 856/3 रकबा 0.101 हेक्टेयर भूमि, 856/3 रकबा 0.053 हेक्टेयर वादी कं. 3 लगायत 11 सहभूमिस्वामी तथा सहआधिपत्यधारी हैं। सर्वे कं. 855 रकबा 0.010 हेक्टेयर के वादीगण सहभूमिस्वामी व सहआधिपत्यधारी हैं। सर्वे कं. 857 / 1 रकबा 0.439 हेक्टेयर वादी शोभाराम की तथा 857/2 रकबा 0.038 हेक्टेयर वादी प्रेमनारायण भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी हैं। सर्वे कं 857/3 रकबा 0.038 हेक्टेयर के वादी कं 3 लगायत 11 सहभूमिस्वामी व आधिपत्यधारी हैं तथा सर्वे कृं. 880 रकबा 3 बीघा जो शासकीय है, जिस पर वादीगण का पुष्तैनी समय से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण की भूमि से लगी हुई पूर्व दिशा की ओर से प्रतिवादीगण की भूमि है व वादग्रस्त भूमि से लगा हुआ उत्तर की ओर आम रास्ता है जो वादीगण के खेतों में आने-जाने के लिए है। प्रतिवादीगण ने 6 माह पूर्व जो भूमि क्रय की है उसमें एक सप्ताह पूर्व भूखण्ड कायम करने हेतु चूने की लाइन डाल रहे थे तब वादीगण ने कहा कि, उसमें हमारा हिस्सा आता है इसलिए बगैर सीमांकन के लाइन न खींचे। तब प्रतिवादीगण ने यह धमकी दी कि. बिना सीमांकन कराये प्लाट निर्मित विक्रय करेंगे व रास्ता अविरूद्ध करेंगे व सर्वे कं. 880 की शासकीय भूमि 3 बीघा पर कब्जा कर विक्रय करेंगे। अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि, प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में दखल नहीं देंगे न बेदखल करेंगे व बिना

सीमांकन किये कोई अवैध कृत्य न करें, न रास्ते में व्यावधान उत्पन्न करें तथा शासकीय भूमि से वादीगण को बेदखल न करें।

प्रतिवादी कृं. 1 लगायत 4 की ओर से आवेदन का उत्तर प्रस्तृत कर वादीगण 3. के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये यह अभिवचन किया है कि, प्रतिवादीगण द्व ारा पूर्व भूमिस्वामीगण से पृथक-पृथक दिनांक को पृथक-पृथक रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भूमि क्य की गई। वादग्रस्त भूमि से आम रास्ता लगा होना व उक्त आम रास्ता प्यासीचक को जाना और इस पर वादीगण अपने खेतों में वादग्रस्त भूमि तक आने जाने हेतु उपयोग में लेना, सभी तथ्य असत्य है जबकि प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक से उक्त भृमि का कब्जा प्राप्त किया है और सर्वे कं. 859 एवं 878 का विधिवत डायवर्सन कराया है। वादीगण एवं उनके परिवार के सदस्य द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे कं. 853 एवं 878 रकबा 0. 009 हेक्टेयर पर अपना मटेरियल हटाना व प्रतिवादीगण को कब्जा सौंपने बाबत भूमि का विक्रयधन प्राप्त कर अनुबंध पत्र निष्पादित किया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की किसी भी वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू-भाग पर चूने की लाइन नहीं डाली है। वादीगण द्वारा राजस्व न्यायालय में भी असत्य वाद प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त किया गया है। वादीगण का भूमि सर्वे कृं. 880 पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण क्रय की गई भूमि पर काबिज हैं तथा रास्ते के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है और न ही रास्ते की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी निरस्त किया जावे।

#### 4. <u>आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न लिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-</u>

- 1- क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
- 3. क्या वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं किये जाने पर उसे अपूर्णीय क्षति होना संभावित है ?

#### विचारणीय बिन्दू कमांक -1 के संबंध में निष्कर्ष :-

- 5. वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा एवं खतौनी के अवलोकन से यह प्रकट है कि, ईसागढ़ स्थित भूमि सर्वे कं. 856/2 रकबा 0.052 हेक्टेयर वादी कं. 1 एवं 2 के स्वामित्व व आधिपत्य की होना तथा सर्वे कं. 856/3 रकबा 0.053 हेक्टेयर प्रतिवादी कं. 3 लगायत 8 के स्वामित्व व आधिपत्य की होना तथा सर्वे कं. 855 रकबा 0.010 हेक्टेयर वादी कं. 2 शोभाराम के स्वामित्व व आधिपत्य की होना इन्द्राज है इसी प्रकार सर्वे कं. 857/1 रकबा 0.039 हेक्टेयर तथा 857/3 रकबा 0.038 हेक्टेयर वादी शोभाराम एवं प्रतिवादी कं. 3 लगायत 8, बल्लू, कल्लू, महेश, लाखन, अन्नू एवं कल्याण के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य के इन्द्राज है। विकय पत्र दिनांक 07.07.2012 अनुसार शिवचरण, विनोद कुमार, सुशील कुमार, हितेन्द्र कुमार जो कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 हैं, के द्वारा हल्कीबाई, देवसिंह, नारायणसिंह, गंगाराम, ज्ञानसिंह, चिमनलाल, रामबाई, नारानीबाई, गोमतीबाई से सर्वे कं. 853 रकबा 0.303 हेक्टेयर भूमि, 859 रकबा 0.105 हेक्टेयर, 807 रकबा 0.063 हेक्टेयर, 866 रकबा 0.105 हेक्टेयर, 869 रकबा 0.063 हेक्टेयर, 878 रकबा 0.136 हेक्टेयर क्य की जाकर विकय पत्र निष्पादित किया है।
- 6. उक्त प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 03.07.2014 को कमलिसंह एवं रामिसंह से भूमि सर्वे कं. 864 रकबा 0.105 हेक्टेयर क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित किया है तथा दिनांक 22.09.2015 को कबूलचंद जैन से भूमि सर्वे कं. 819 रकबा 0.052 हेक्टेयर, 861 रकबा 0.031 हेक्टेयर, 862 रकबा 0.010 हेक्टेयर, 863/2 रकबा 0.010 हेक्टेयर एवं 865 रकबा 0.094 हेक्टेयर क्रय की जाकर विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 28.05.2016 को विक्रेता रामिसंह से भूमि सर्वे कं. 363/1 रकबा 0.105 हेक्टेयर क्रय की जाकर विक्रयपत्र निष्पादित किया है। वादीगण के अभिवचन अनुसार पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादीगण के 5 बीघा भूमि लगी हुई है तथा उत्तर की ओर आम रास्ता है जिसका उपयोग वादीगण अपने खेत में जाने के लिए करते हैं। किन्तु उक्त रास्ता होने संबंधी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यदि उक्त रास्ता रहा भी हो तब भी वह साक्ष्य की विषयवस्तु है वादीगण की ओर से ऐसा कोई नक्शा ट्रेस भी पेश नहीं किया गया है जिससे कि,

यह दर्शित हो सके कि, वादीगण के द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा अवरूद्ध किया हो। इसी प्रकार भूमि सर्वे कं. 880 रकबा 3 बीघा जो कि, शासकीय है जिसमें वादीगण का कब्जा होना बताया गया है किन्तु उक्त कब्जे संबंधी भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

वादीगण द्वारा राजस्व न्यायालय तहसीलदार ईसागढ के समक्ष एक आवेदनपत्र 7. प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उनके स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसमें प्रतिवादीगण मुरम डालकर उनके खाते में लंबा रास्ता करने एवं उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते को बंद कर रहे हैं जिसे रोके जाने बाबत एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार वादीगण द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है और रास्ता खुलवाये जाने की सहायता चाही थी जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक वृत 2 ईसागढ द्वारा भूमि सर्वे कं. 880 आबादी के रूप में दर्ज होने एवं रास्ता चालू होने बाबत उल्लेख करते ह्ये प्रतिवेदन प्रस्तृत किया है। इस प्रकार वादीगण का रास्ता प्रतिवादीगण द्वारा अवरूद्ध किये जाने एवं शासकीय भूमि सर्वे कृं. 880 पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने तथा वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा चूने की लाइन डालकर कब्जा किये जाने संबंधी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

## विचारणीय बिन्दु कमांक 2 व 3 के संबंध में निष्कर्ष :-

8. प्रतिवादीगण द्वारा पृथक—पृथक दिनांक को पृथक—पृथक सर्वे कंमांक की भूमियां क्य कर कब्जा प्राप्त किया है तत्पश्चात विधिवत भूखण्ड काटे जाने हेतु डायवर्सन भी कराया गया है जबिक वादीगण सर्वे कं. 880 का रकबा 3 बीघा पर कोई कब्जा हो ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा किये जा रहे रास्ते को अवरूद्ध किया हो, ऐसे भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है साथ ही वादीगण के कौन सी भूमि पर और कितने भू भाग पर

प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया जा रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की जाती है तो उन्हें असुविधा होना और अपूर्णीय क्षति होना भी परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादीगण के पक्ष में होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। आदेश खुले न्यायालय में पारित कर हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

एस.एस. सिसौदिया अशोकनगर (म.प्र.)

एस.एस. सिसौदिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अशोकनगर (म.प्र.)